न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या 01/23 दायरा दिनांक 06.01.2023

सविता उर्फ सतीश उम्र 41 वर्ष पुत्री सुन्दरलाल जाति किराड निवासी ग्राम मुण्डियर हाल निवास पत्नि मोहनलाल मेहता निवासी सिरसोदकला तहसील शाहावाद जिला बारां राज.

– अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. खैरू पुत्र सुन्दरलाल जाति किराड निवासी मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. चिंजो पुत्री सुन्दरलाल जाति किराड निवासी मुण्डियर हाल निवास पत्नि रमेश ग्राम कलोनिया तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. रामवती पुत्री सुन्दरलाल जाति किराड निवासी मुण्डियर हाल निवास पत्नि नन्दलाल ग्राम समरानिया तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. राजकुमार पुत्र रामदयाल जाति किराड निवासी मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. सुषमा पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी फतेहपुर जिला बारां राजस्थान
6. ग्राम पंचायत मुंडियर तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद तहसील शाहावाद जिला बारां राज.

– रेस्पोन्डेन्टस्

अपील विरूद्ध फोती नामान्तरण नम्बर 723 ग्राम शाहपुर तहसील शाहावाद निर्णय अधीनस्थ न्यायालय सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

निर्णय–दिनांक 12.02.2024

उपस्थित–

1. अपीलाण्ट की ओर से–श्री धीरेन्द्र माली अभिभाषक
2. रेस्पोर्डेण्ट कम 1,.2,3,5 की ओर से–स्वयं उपस्थित
3. रेस्पोर्डेण्ट कम 4 की ओर से– नाम डिलीट किया गया
4. रेस्पोर्डेण्ट कम 6 की ओर से–एकपक्षीय
5. रेस्पोर्डेण्ट कम 7, 8 की ओर से–पैरोकार सरकार

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम शाहपुर पटवार हल्का मुण्डियर तहसील शाहाबाद के खाता संख्या 47 पुरानी 42 में आराजी खसरा नम्बर 31/450 रकबा 3.14 बीघा, खसरा नम्बर 34/1 रकबा 5.04 बीघा, खसरा नम्बर 121/434 रकबा 5.10 बीघा, खसरा नम्बर 134/470 रकबा 4.02 बीघा, खसरा नम्बर 211/1 रकबा 0.08 बीघा, ख.सरा नम्बर 340/1 रकबा 16.03 बीघा, खसरा नम्बर 483/187 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 488/339 .रकबा 0.05 बीघा तथा खसरा नम्बर 531/39 श.न. 39/451/1 रकबा 7.12 बीघा कुल किता 9 कुल रकवा 43.01 बीघा स्थित है। उक्त आराजी की अपीलाण्ट तथा अपीलाण्ट के सगे भाई बहिन रेस्पो. कम 1 ता 4 के नाम संयुक्त खाता दर्ज है। अपीलाण्ट तथा रेस्पो. कम 1 ता 4 [illegible] सुन्दरलाल पुत्र तुलसीराम कौम किराड साकिन मुण्डियर [illegible] जिनके नाम प्रश्नगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.03.06 12:24:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

नामान्तरकरण के जरिये दर्ज विरासत सही है। अपीलाण्ट का घरेलू नाम सताश तथा रिकार्ड नाम सवीता है, जो अपीलाण्ट के आधार कार्ड बैंक पासबुक जनआधार राशनकार्ड तथा मतदाता परिचयपत्र में दर्ज है। प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलाण्ट का नाम सतीश दर्ज कर दिया है जबकि सवीता होना चाहिये था। इस कारण प्रश्नगत नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है, आदि।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टस की तलवी की गई। रेस्पोर्डेण्ट कम 1, 2, 3, 5 ने स्वयं उपस्थित होकर इकवाली जबाव पेश किया, कम 4 .की मृत्यु हो जाने से नाम डिलीट किया गया, कम 6, 7 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा कम 8 स्वयं उपस्थित। प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलाण्ट द्वारा मात्र इतनी सी गलती बतलाई गई है कि उसका नाम सविता के स्थान पर सतीश दर्ज कर दिया है, जो प्रश्नगत नामान्तरकरण में दर्ज है। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड बैंक पासबुक जनआधार राशनकार्ड तथा मतदाता परिचयपत्र में अपीलाण्ट का नाम सविता दर्ज है तथा ग्राम पंचायत मुण्डियर व महोदरा के संलग्न प्रमाणपत्र से भी सतीश तथा सविता एक ही व्यक्ति के दो नाम होना जाहिर होता है।

उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण नम्बर 723 ग्राम शाहपुर दिनांक 20.11.2012 को अपीलाण्ट के नाम की हद तक अपास्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट के नाम के बावत भलिभांति जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरण दर्ज करें। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Pooja

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.03.06 12:24:13 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner